प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान का शुभारंभ

छबड़ा(निसं)। गांवों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के उदेश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनान्तर्गत 16 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान के तहत सोमवार को ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें समस्त ग्राम पंचायत स्तर से प्रशासक, ग्राम विकास अधिकारी, स्वच्छता संवेदको ने भाग लिया। विकास अधिकारी अभिषेक मीणा के अनुसार कार्यशाला अन्तर्गत प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा सम्पूर्ण स्वच्छ भहतरीन बारां जिला बनाने के बारे में दिशा निर्देश प्रदान किये है।

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/7978 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-09.02.26

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के न्यायधीश रखी गयी भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) युडीएच/3/2012 मई 31.2012 के आध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दे। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं	स्थान/कॉलोनी का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्री भुवनेश शर्मापुत्र श्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी छबडा तह. छबडा जिला बारां (राज.)	329, 330	श्री कृष्ण विहार कालोनी छबडा	69	25x40 =1000

नोट- उक्त भूखण्ठ अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबडा

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 52/2025

चूंकि श्री राजीव मल्होत्रा पुत्र श्री जगन्नाथ मल्होत्रा, 28 ए राजेन्द्र विहार आकाशवाणी कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(2) के अन्तर्गत प्रन्यास ''जिला प्रौढ़ शिक्षण समिति, कोटा'', 13. झालावाड रोड, विज्ञान नगर, कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जाच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि ये इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 16.04.2026 है।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3256 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-16.02.26

आवास सख्या 1-जी-3 तलवंडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री मोहन लाल जैन पुत्र श्री नेमीचंद जैन को किया गया था। श्री मोहन लाल जैन की मृत्यु दिनांक 27.01.1995 को हो जाने के उपरान्त उक्त आवास का हस्तांतरण दिनांक 01.06.1999 इनकी पत्नी श्रीमती सुमरत बाई को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती सुमरत बाई पत्नी स्व. श्री मोहन लाल जैन द्वारा दिनांक 23.09.2000 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीनती सुमस्त बाई पत्नी स्व. श्री मोहन लाल जैन की मृत्यु दिनांक 14.06.2009 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों ने श्रीमती लाड देवी, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती शकुन्तला जैन, श्रीमती गुणमाला जैन, श्रीमती अंशु जैन पुत्रीया स्व. श्री मोहन लाल जैन द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 20.07.2021 को श्री प्रकाश चंद जैन, श्री इन्द्रमल जैन, श्री कमल कुमार जैन एवं श्री निर्मल कुमार जैन पुत्रान स्व. श्री मोहनलाल जैन के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया। श्री प्रकाश चंद जैन, श्री इन्द्रमल जैन, श्री कमल कुमार जैन एवं श्री निर्मल कुमार जैन पुत्रान स्व. श्री मोहनलाल जैन का नाम उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दिनांक 12.01.2022 को संयुक्त रूप से दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री प्रकाश चंद जैन, श्री इन्द्रमल जैन, एवं श्री कमल कुमार जैन पुत्रान स्व. श्री मोहनलाल जैन द्वारा उक्त आवास का उपहार जरिये उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) आलेखित कर दिनांक 21.01.2026 को श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जैन को किया गया। श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मोहन लाल जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-जी-3 तलवंडी, कोटा को उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में में श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मोहन लाल जैन का नाम उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मोहन लाल जैन का नाम उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मोहन लाल जैन का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक : एफ 7/डी.टी.पी./2026/ राजकाज रेफरेंस नंबर दिनांक : ई हस्ताक्षर

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस मे कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल
1.	श्रीमति इन्द्रा विजय पत्नि श्री रमेशचंद विजय	भूखण्ड सं. ए-1 योजना श्रीराम कॉलोनी ग्राम रामचन्द्रपुरा/बोरखेड़ा कोटा	आवासीय	व्यवसायिक	561.80 वर्गमीटर

उप नगर नियोजक कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक : एफ 7/डी.टी.पी./2026/ राजकाज रेफरेंस नंबर दिनांक : ई हस्ताक्षर

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस मे कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल
1.	श्री पंकज विजय एवं श्री अंकुर विजय	भूखण्ड सं. ए-2 योजना श्रीराम कॉलोनी ग्राम रामचन्द्रपुरा/बोरखेड़ा कोटा	आवासीय	व्यवसायिक	490 वर्गमीटर

उप नगर नियोजक कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/2053 **विज्ञप्ति** दिनांक : 5.2.2026

सर्व साधारण को जयें विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटड़ी योजना ''कृष्णा नगर'' खसरा नं. 130, 131 में स्थित भूखण्ड संख्या 14 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री गुरप्रीत सिंह बैंस पुत्र श्री जगतार सिंह बैंस निवासी-गुरुद्वारा रोड़, गुरुद्वारा के पास, भीमगंजमण्डी, कोटा जं. कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 179 दिनांक 18.12.2012 को बलजीत कौर पुत्र श्री जगतार सिंह बैंस के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का अपंजीकृत वसीयत नामा श्री गुरप्रीत सिंह बैंस पुत्र श्री जगतार सिंह बैंस के नाम निष्पादित किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त वसीयतनामा, एवं प्रस्तुत वसीयतनामे के गवाहान् शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज के आधार पर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

अतः श्री गुरप्रीत सिंह बैंस पुत्र श्री जगतार सिंह बैंस के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/2032 **विज्ञप्ति** दिनांक : 2.2.2026

सर्व साधारण को जयें विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयाखेडा में स्थित कृषि भूमि योजना ज्ञान सरोवर कॉलोनी भूखण्ड संख्या डी-22 खसरा नं. 123 आवेदक/आवेदिका श्री गुरुप्रीत सिंह बैंस पुत्र स्व. श्री डॉ. जगतार सिंह बैस निवासी डी-22 ज्ञान सरोवर कॉलोनी, ग्राम नयाखेडा कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 9 दिनांक 04.04.2013 को बलजीत कौर पत्नि श्री डा. जगतार सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी बलजीत कौर की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 25.11.2022 तथा पति जगतार सिंह की मृत्यु दिनांक 01.07.2019 को हो चुकी है। पट्टाधारी द्वारा अपने जीवनकाल में अनरजिस्टर्ड/नोटेरी शुद्धा वसीयतनामा दिनांक 03.09.1994 से आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री गुरुप्रीत सिंह बैंस पुत्र स्व. श्री डॉ. जगतार सिंह बैंस के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 746 **नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 16.2.26

प्राधिकरण कोटा की डिस्ट्रिक्ट सेन्टर व्यवसायिक योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 249 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 16.12.2006 को श्री श्याम होतवानी पुत्र श्री लद्दाराम को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री नरेन्द्र जायसवाल पुत्र स्व. श्री एम.एल. जायसवाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2009 को श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री हरजीत सिंह एवं श्रीमती प्रवीण चौधरी पत्नी श्री धर्मेन्द्र चौधरी को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री खुशबीर सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2021 को श्रीमती मनिंदर जीत कौर पत्नी श्री खुशबीर सिंह को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 249 योजना डिस्ट्रिक्ट सेन्टर व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मनिंदर जीत कौर पत्नी श्री खुशबीर सिंह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

'पहली बार आम नागरिक कर सकते हैं स्व-गणना की प्रक्रिया'

- जनगणना अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण
- पूरी सजगता के साथ संकलित किए जाएं आंकड़े

कोटा, (निसं)। जिला स्तर पर आयोजित जनगणना अधिकारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना कार्य के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर जिले के चार्ज अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में आए चार्ज अधिकारियों संबोधित करते हुए संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारी जनगणना कार्य की बारीकियों को सीखें। उन्होंने चार्ज ऑफिसर्स को निर्देश दिए कि आंकड़े पूरी सजगता के साथ संकलित किए जाएं और वे सटीक हों।

उन्होंने कहा कि चार्ज अधिकारी जनगणना कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करें, सुपरवाईजरों एवं प्रगणकों के चयन में तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। फील्ड में जाने वाले प्रगणक एवं सुपरवाईजर को किसी तरह की प्रक्रियात्मक समस्या आए तो वे उन्हें मार्गदर्शन दें। संभागीय आयुक्त ने कहा कि फील्ड में शुरू होने वाले जनगणना कार्य के प्रथम चरण से पूर्व सभी चार्ज अधिकारी, सुपरवाईजर एवं प्रगणक विभिन्न स्तरों पर आगामी दिनों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनगणना कार्य से संबंधित पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें और पूरी मेहनत से इस जनगणना कार्य को सफल बनाएं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत में जिला जनगणना अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन वीरेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि इस बार जनगणना का कार्य पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल होगा। इसके लिए सभी स्तर के अधिकारियों एवं जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। जो अधिकारी आज प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे प्रगणकों को फील्ड में जाकर किस तरह से कार्य करना है इसके बारे में उनकी मॉनिटरिंग करेंगे।

जनगणना के प्रारंभिक चरण से पहले सभी चार्ज अधिकारी इस कार्य की बारीकियों को देखें और समझें ताकि फील्ड में जनगणना कार्य शुरू होने के बाद किसी तरह की समस्या नहीं हो। चार्ज अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे जनगणना निदेशालय, जयपुर के संयुक्त निदेशक अतुल वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 16 मई से 14 जून के मध्य प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण का कार्य कराने की अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि 1 मई से 15 मई तक आम नागरिक अपने मोबाईल, लैपटॉप और कम्प्यूटर पर पोर्टल के माध्यम से खुद ही गणना प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें 33 सवाल उनके समक्ष रखे जाएंगे जिनका जवाब देकर वे स्व-गणना कर सकते हैं। 16 मई से 14 जून के बीच प्रगणक जनगणना प्रक्रिरया के तहत घर-घर जाएंगे।

स्व-गणना कर चुके नागरिक उन्हें स्व-गणना के बारे में जानकारी देकर अपनी आईडी बताएंगे और प्रगणक उसे चेक कर स्व-गणना को अप्रूव कर देंगे तो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि जनगणना कार्य की प्रारंभिक तैयारी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मोड में होने वाली यह पहली जनगणना है। इसके अलावा स्व-गणना की प्रक्रिया भी पहली बार ही होगी।

उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए एक मास्टर फ्रेम तैयार किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त ओपी मेहरा ने अभी तक की गई तैयारियों के बारे में बताया। प्रशिक्षण में उप जिला जनगणना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग वेदप्रकाश चौधरी ने जनगणना कार्य से संबंधित नियमित सहायकों की तीन दिवसीय ट्रैनिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी जनगणना कर्मी अच्छे प्रशिक्षित होकर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें।

महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ

छबड़ा(निसं)। नगर पालिका के तत्वावधान में नागेश्वर पहाड़ी पर पांच दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ तहसीलदार यादवेन्द्र यादव ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर किया। पहले दिन स्कूली बच्चो ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, बच्चो ने सभी का मनमोह लिया। यह मेला 19 फरवरी तक चलेगा। ईओ संदीप कुमार गहलोत ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर पालिका के तत्वावधान में महाशिवरात्रि पर्व पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के पहले दिन स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर पालिका पूर्व अध्यक्ष कल्याणी बाई सोलंकी, पिंकी साहू, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हरीश माहेश्वरी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सीपी गेरा, भाजपा नगर अध्यक्ष भूपेंद्र सुमन, कांग्रेस नेता गोविंद दरबार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पार्षद हितेश सोनी, एडवोकेट राजेश भार्गव, समाजसेवी रोशन कालरा, हरिओम गौड़, किराना व्यापार संघ अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष किशन कालरा आदि मौजूद थे।

यह होंगे कार्यक्रम: सोमवार को गोरबंद फूलों की होली, मंगलवार को सांस्कृतिक रंगारंग,कार्यक्रम, बुधवार को हास्य और कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स का आयोजन किया जाएगा। अंतिम दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा।

संपर्क पोर्टल पर परिवाद निस्तारण में रैंकिंग सुधरी

- पहली बार कोटा जिला छठे स्थान पर

कोटा,(निसं)। संपर्क पोर्टल पर आने वाले परिवादों के निस्तारण में अच्छी प्रगति करते हुए पहली बार कोटा जिले ने राज्य में छठा स्थान प्राप्त किया है। जिला कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को बजट घोषणाओं एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि संपर्क पोर्टल पर शिकायत निस्तारण में अच्छी प्रगति करते हुए पहली बार कोटा जिले की रैंकिंग 6 पर आई है।

बैठक में केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जन सुनवाई एवं संपर्क पोर्टल से संबंधित लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही, संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने से पहले शिकायत निस्तारण से संबंधित जवाब चेक करने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को लम्बित प्रकरण शीघ्र निस्तारित करने एवं परिवादियों की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने के निर्देश दिए गए। एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला ने सम्पर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान कर इसकी जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीआरएफ के तहत सरकारी भवनों की मरम्मत के कार्य शीघ्र पूरे कर 10 मार्च से पहले बिल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न विभागों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, पंच गौरव कार्यक्रम से जुड़े विभागों को इसमें गति लाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन, पालनहार योजना में लम्बित सत्यापन कार्य पूरा करने एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जनाधार से लिंक करने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 21 एवं 22 फरवरी को आयोजित होने वाले कोटा महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को तैयारियां पूरी कर आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए।

30406 व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा से गिव अप किया

छबड़ा(निसं)। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के गिव इट अप अभियान की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन, में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में स्वेच्छा से 30406 व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा से गिव अप किया है। सिंघवी ने इस पर आभार व्यक्त किया है। साथ ही सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी मण्ड़ल अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों, जनप्रतिनिधि, पूर्व सरपंच, पंच, नगर पालिका पार्षद, सभी प्रकोष्ठ अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकर्ताओ से निवेदन किया है कि निर्धनोन्मुखी एवं पात्र व्यक्तियों का खाद्य सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से नये पात्र एवं वंचित लोगो को अधिक से अधिक खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाने का पथ प्रशस्त करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक : ननिको/निर्माण/2025-26/800-812 दिनांक : 10.02.2026

-: ई-निविदा सूचना :-

नगर निगम कोटा द्वारा विभिन्न अभियान्त्रिकी विभागों के "A", "AA" श्रेणी एवं अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता हैं कि नगर निगम कोटा द्वारा कुल 11 कार्य हेतु ई-निविदा सूचना संख्या- 35/2025-26 से सम्बन्धित कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत, निविदा बैचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम कोटा की वेबसाइट www.kotamc.org, http/eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

NIB No. DLB2526B1486

UBN No.
1. DLB2526WSRC33882
2. DLB2526WSRC33886
3. DLB2526WSRC33887
4. DLB2526WSRC33888
5. DLB2526WSRC33889
6. DLB2526WSRC33890
7. DLB2526WSRC33893
8. DLB2526WSRC33896
9. DLB2526WSRC33899
10. DLB2526WSRC33901
11. DLB2526WSRC33923

अधिशाषी अभियंता नगर निगम कोटा

राज.संवाद/सी/25/19890

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

पता :- सी0ए0डी0 सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा

ई-मेल :- nnkota@gmail.com website :www.Kotamc.org

क्रमांक :- ननिकोद/गौशाला/2026/6339-47 दिनांक :- 13.02.2026

CORRIGENDUM

नगर निगम कोटा के गेहूॅं की चापड़ की निविदा सं. न.नि.को./गौशाला/2026/4784-90 दिनांक 30.01.2026 में निविदा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

निम्नानुसार है

नोट -: शेष निविदा दस्तावेज यथावत रहेगा।

क्रं. सं.	पूर्व की दिनांक	संशोधित दिनांक
1.	निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईड से) 03.02.2026 से 14.02.2026 कार्यालय समय में।	निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईड से) 03.02.2026 से 24.02.2026 कार्यालय समय में।
2.	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि-15.02.2026 कार्यालय समय में।	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि-24.02.2026 कार्यालय समय में।
3.	अमानत राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क की जमा रसीद एवं अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि:-	अमानत राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क की जमा रसीद एवं अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि:-25.02.2026
4.	निविदा की तकनिकी बिड खोलने की तिथि - 17.02.2026 कार्यालय समय में।	निविदा की तकनिकी बिड खोलने की तिथि- 26.02.2026 कार्यालय समय में।

उपायुक्त नगर निगम कोटा

राज.संवाद/सी/25/19891

कोटा महोत्सव में शौर्य घाट पर आयोजित होंगी कई प्रतियोगिताएं

कोटा, (निसं)। 21 फरवरी से शुरू हो रहे दो दिवसीय कोटा महोत्सव 2026 के तहत मास्टर शेफ प्रतियोगिता, पेट शो, लोकल टेलेंट हंट प्रतियोगिता एवं घूमर शो आदि प्रमुख आकर्षण होंगे। मास्टर शेफ प्रतियोगिता 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे शौर्य घाट चम्बल रिवर फ्रंट पर आयोजित होगी जिसमें शहर की प्रमुख होटल-रेस्टारेंट के शेफ एवं अन्य प्रतिभागी शामिल होंगे।

21 फरवरी को शौर्य घाट पर प्रातः 11 बजे लोकल टेलेंट हंट प्रतियोगिता, दोपहर 1:30 बजे सुरीला कोटा कार्यक्रम एवं शाम 4 बजे घूमर शो का आयोजन होगा। साथ ही, दीदी की हाट एवं फोटो एग्जीबिशन तथा पेंटिंग वर्कशॉप भी रिवर फ्रंट पर प्रमुख आकर्षण होंगे। 22 फरवरी को सेवन वंडर्स पार्क में प्रातः 11 बजे आयोजित होने वाले पेट शो को लेकर भी शहरवासियों ने काफी उत्साह दिखाया है। पेट शो के लिए गूगल लिंक एवं क्यूआर कोड के माध्यम से काफी एंट्री आई हैं। कोटा महोत्सव के तहत 21 एवं 22 फरवरी को प्रातः 11 से सायं 6 बजे के बीच किशोर सागर तालाब पर फ्लावर शो आयोजन होगा। साथ ही, सायं 6 से 7 बजे तक किशोर सागर तालाब पर पुलिस, आर्मी एवं आरएसी द्वारा बेंड वादन प्रस्तुत किया जाएगा।

कोटा महोत्सव के तहत 15 फरवरी को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में आयोजित वन्यजीवन की लाइव फोटोग्राफी प्रतियोगिता के परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। इसमें लाइव फोटोग्राफी की प्रोफेशनल कैमरा कैटेगरी में प्रान्जय वर्मा प्रथम, कृष्ण कुमार द्वितीय एवं चिराग सिंघल तृतीय स्थान पर रहे।

आम सूचना

मैं मेरे मुवक्किल श्री भैरू सिंह आत्मज श्री बंशीलाल एवं श्रीमती शान्ति पत्नी श्री भैरू सिंह निवासीगण मकान नं. 350, गुमानपुरा, कोटा राजस्थान की ओर से हर आम व खास को सूचित करता हूं कि मेरे मुवक्किल का पुत्र कुलदीप सिंह, पुत्रवधू महिमा, पौत्र वैदिक मेरे मुवक्किल के कहे में नही है उनसे लड़ाई झगड़ा करते है इसलिये मेरे मुवक्किल अपने पुत्र कुलदीप सिंह, पुत्रवधू महिमा, पौत्र वैदिक को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है। कोई भी उनसे किसी प्रकार का लेन-देन अथवा संव्यवहार करते है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें। सूचित हों।

भवदीय

प्रवीण कुमार पनवाड़ एडवोकेट

34. शास्त्री नगर, दादाबाड़ी, कोटा (राज.)

दिनांक 17.02.2026 मो. नं. 9413201205

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला चौहान पत्नी श्री बी.एल. चौहान की खरीद शुदा सम्पत्ति भूखण्ड संख्या 86, जवाहर नगर कोटा में स्थित है। श्रीमती कमला चौहान पत्नी श्री बी.एल. चौहान के द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड से ऋण (ऋण खाता संख्या 615989199, 622818451) लिया हुआ था तथा उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजात एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड में रहन कर रखे हैं। श्रीमती कमला चौहान पत्नी श्री बी.एल. चौहान का दिनांक 25.12.2021 को देहान्त हो चुका है। श्रीमती कमला चौहान पत्नी श्री बी.एल. चौहान के पति बिहारीलाल चौहान, पुत्र जीवन राम चौहान ने जाहिर किया है कि उनके अतिरिक्त स्व.कमला चौहान के पुत्र ब्रजेश चौहान एवं ग्रीजेश चौहान तथा पुत्री दीपिका चौहान ही विधिक वारीसान नहीं है। उक्त सम्पत्ति के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड को की जा चुकी है। श्रीमती कमला चौहान के पति बिहारीलाल चौहान उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेज को प्राप्त करना चाहते है। यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता या एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा विज्ञान नगर कोटा के समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

Date : 13.02.2026

संदीप जैन, एडवोकेट

583-ए तलवण्डी, कोटा

मो. 9829180432

सनातन को नुकसान पहुंचा रहा शंकराचार्य विवाद

- संत होने के नाते मैं स्वामी अविमुक्तेश्वानंद से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विवाद को समाप्त करे

कोटा, (निसं)। शंकराचार्य विवाद इस समय सनातन धर्म और हिन्दू समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। एक संत होने के नाते मैं स्वामी अविमुक्तेश्वानंद से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विवाद को समाप्त करें। यह बात बड़ा भक्तमाल अयोध्या के पीठाधीश्वर, रामधाम सेवा आश्रम के संस्थापक स्वामी अवधेशाचार्य महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि यदि गंगाजी में स्नान करना ही उद्देश्य था, तो गंगा वहीं बह रही थी जहां चाहें वहां स्नान किया जा सकता था। लेकिन अनावश्यक रूप से विवाद को तूल देकर यह पूरा मामला राजनीतिक रंग दिया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचाना प्रतीत होता है। अवधेशाचार्य महाराज ने कहा कि गाय की रक्षा की बात करने वाले यह भूल जाते हैं कि गाय संरक्षण के लिए न तो योगी ने कभी मना किया और न ही नरेन्द्र मोदी ने। धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी ने लिया, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी उन्हीं के नेतृत्व में हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज के खात्मे का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक शंकराचार्य पद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, जैसे हर व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता यह एक सामान्य और सत्य कथन है। अवधेशाचार्य ने सवाल उठाया कि यदि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, तो इसे स्वीकार करने में आपत्ति क्यों? यदि न्यायालय की अनुमति है, तो संत समाज, योगी और मोदी सभी साथ आकर उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शंकराचार्य की चारों पीठ किसी व्यक्ति की बपौती नहीं, बल्कि सनातन की पंचायती पीठ हैं, जिन पर निर्णय धर्मसंतों, विद्वानों और साधु-संतों द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाता है। विवाद पैदा करना आचार्य पीठों का कार्य नहीं है। अंत में उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वानंद से अपील की कि वे इस बवाल को समाप्त कर केवल सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार पर ध्यान दें इसी में पूरे देश और हिन्दू समाज का कल्याण है।

रामधाम मंदिर पर बनेगा भव्य सिंहद्वार-इस अवसर पर रामधाम सेवा आश्रम के मुख्य पुजारी लक्ष्मणदास महाराज ने बताया कि रामधाम सेवा आश्रम ट्रस्ट द्वारा रामधाम मंदिर के मुख्य द्वार पर भव्य सिंहद्वार का निर्माण किया जाएगा। जिसका कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा।

गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/कंपनियों/सहकारी समितियों/ संघों/व्यक्तियों से डाटाबैंक/प्रस्ताव तैयार करने हेतु अनुरोध

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर-वैधानिक निकाय है, जो सफाई कर्मचारियों (मैनुअल स्कैवेंजर, खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिक, स्वच्छता कर्मी, रैग पिकर आदि) के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करता है। इसके कार्यों में सरकारों को परामर्श देना, मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 से संबंधित शिकायतों की जाँच करना तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करना शामिल है।

एनसीएसके अपने दायित्वों के अनुरूप लक्षित समूह के कल्याण एवं संरक्षण हेतु नीतियों / योजनाओं/ कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन तथा प्रभाव आकलन के लिए परामर्श, सहयोग, विचार-विमर्श एवं ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित से संबंधित एक व्यापक डाटाबैंक / डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव करता है-

- स्वच्छता / स्वच्छता कर्मियों एवं कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत विषय विशेषज्ञ /लेखक तथा प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ (उनका बायोडाटा एवं पूर्व कार्यों का विवरण सहित)।
- मैनुअल स्कैवेंजर, स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन /सिविल सोसाइटी संगठन / फाउंडेशन आदि।
- कंधे पर लगाए जाने वाले, वाहन पर लगाए जाने वाले तथा हाथ से चलने वाले सफाई उपकरण / मशीनरी (जैसे वैक्यूम क्लीनर, वाटर जेट, स्टीम जेट, सक्शन पंप आदि) तथा पीपीई किट / सुरक्षा उपकरणों के निर्माता, जो सफाई कर्मचारियों कार्य-स्थितियों एवं सुरक्षा में की सुधार करते हों।
- स्वच्छता, कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता कर्मियों के क्षेत्र में कार्यरत संगठन / कंपनियाँ।
- जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत पंजीकृत सफाई कर्मचारी यूनियन एवं संघ, जिनका पंजीकरण, पैनलमेंट, पदाधिकारी एवं कार्य का विवरण उपलब्ध हो।
- कोई भी संगठन / कंपनी / आईटी कंपनी / फाउंडेशन / सहकारी संस्था / विधिक इकाई आदि, जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी पोर्टल तथा अन्य संसाधनों (प्रशिक्षण / रोजगार/यंत्रीकरण / पुनः कौशल विकास आदि) के निर्माण एवं एनसीएसके की गतिविधियों में सहयोग करना चाहें, जिससे सफाई कर्मचारियों (मैनुअल स्कैवेंजर / खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिक / सफाई कर्मचारी / रैग पिकर आदि) एवं उनके परिवारों को लाभ हो। प्रस्तुत प्रस्ताव एनसीएसके की संपत्ति बन जाएगा तथा एनसीएसके बिना किसी अतिरिक्त सूचना के प्रस्ताव को मूल या संशोधित रूप में उपयोग कर सकता है।

2. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रारूप में विवरण ई-मेल के माध्यम से भेजें-
ई-मेल : randd.ncsk-mosje@gov.in

संगठन/ व्यक्ति का नाम	(निगमन/पंजीकरण विवरण/योग्यता)	कार्यालय नाम एवं पता, पदाधिकारी तथा का संपर्क व्यक्ति	मोबाइल नंबर	ई-मेल आईडी

नोटः

- स्वच्छता / स्वच्छता कर्मियों एवं कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत विषय विशेषज्ञ /प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों को अपना बायोडाटा एवं पूर्व कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- कंपनियों एवं कॉर्पोरेट निकायों के संबंध में स्थापना / निगमन की तिथि, कार्य का विवरण तथा वार्षिक टर्नओवर देना अनिवार्य है। - निर्माताओं को अपने उत्पादों की कैटलॉग, उनके कार्य-विधि / प्रभावशीलता के वीडियो तथा मूल्य विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- प्रस्ताव में लाभ एवं वित्तीय प्रभाव / निहितार्थ का उल्लेख होना चाहिए।

संपर्क विवरणः

अंकुश चुघ

सहायक निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

ई-मेलः randd.ncsk-mosje@gov.in

फोनः 011-24648921

वेबसाइटः ncsk.nic.in

CBC 38120/11/0011/2526